109/5

श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2012 को सेवानिवृत लिपिकों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति की बैठक की कार्यवाहीः-

उपस्थितिः- यथा पंजीनुसार

प्रस्तावनाः-सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 2(मु0)/स्था0, दिनांक 13.01.2011 द्वारा अद्योलिखित सेवा निवृत लिपिकों का नियोजन संविदा के आधार पर किया गया था।

क्र0	सेवानिवृत लिपिकों का नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन	योगदान की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति निर्मला सिन्हा	13.03.1949	जिला अभिलेखागार, मुंगेर	13.01.2011
2.	श्री अवधेश कुमार मिश्र	01.01.1949	जिला सामान्य शाखा, मुंगेर	13.01.2011
3.	श्री सत्यनारायण प्र0 सिन्हा	01.12.1948	जिला नीलाम पत्र शाखा, मुंगेर	14.01.2011
4.	श्री रामदेव रजक	22.01.1947	जिला आपूर्त्ति शाखा, मुंगेर	15.01.2011
5.	श्री जग जीवन प्रसाद यादव	01.12.1949	जिला स्थापना शाखा, प्रतिनियुक्त-जिला उपभोक्ता फोरम,मुंगेर	14.01.2011
6.	श्री चन्द्रनारायण प्रसाद	14.04.1950	प्रखंड कार्यालय खड़गपुर	13.01.2011
7.	श्री धनवन्त कुमार सिंह	26.06.1950	जिला राजस्व कार्यालय मुंगेर	14.01.2011

1. क्रमांक 02 पर अंकित श्री अवधेश कुमार मिश्रा सेवानिवृत उ0व0लि0 विगत छः माह से अधिक समय से बीमारी के कारण अनुपस्थित है। समिति ने इन्हे संविदा से मुक्त करने का निर्णय लिया।
2. क्रमांक 04 पर अंकित श्री रामदेव रजक का जन्म तिथि 22.01.1947 है। विभागीय संकल्प 2804 दिनांक 29.03.10 के कंडिका 5 ख (VII) में अधिकत्तम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। उक्त आलोक में श्री रजक का अधिकत्तम उम्र सीमा 65 वर्ष होने के कारण समिति ने इन्हे संविदा से मुक्त करने का निर्णय लिया।
3. मानदेय भुगतान के संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के आदेश सं0 10574 दिनांक 21.10.10 के आलोक में उपरोक्त नियोजित कर्मियों को सम्बन्धित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक सेवाएँ एवं विशेष संवाओं के लिए अदायगियाँ से किये जाने का निदेश प्राप्त है। तदनुसार उपरोक्त नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान के संबंध में विचार विमर्श किया गया। समिति के समक्ष यह बात प्रकट में आयी कि सात नियोजित सेवा निवृत लिपिकों के मानदेय का भुगतान निम्नलिखित कारणों से नहीं हो पाया हैः-

    i. स्थापना के ~~बजट~~ शीर्ष 2053 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई मद में आवंटन प्राप्त है, परन्तु मानदेय के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं है।
    ii. मुख्य बजट शीर्ष 2029 एवं 2015 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई मद में आवंटन पिछले कई वर्षो से विभाग से अप्राप्त है। इस हेतु विभाग से पत्राचार किया गया है परन्तु विभाग से अबतक आवंटन अप्राप्त है।

उक्त आलोक में स्थापना उप समाहर्त्ता, मुंगेर दिसम्बर 2011 तक मानदेय भुगतान हेतु राशि की गणना कर संबंधित विभाग से आवंटन की मांग करें।